रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-517/2023/1407/22-2-2023-17(549)/2023

लखनऊ:दिनांक: 14 अगस्त, 2023

आदेश

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी देवी सरन वर्मा (बन्दी संख्या-41735 व 05/2013) पुत्र श्री हरीराम वर्मा, निवासी ग्राम-बेचू का पुरवा, एच0/ओ0-बेरी, थाना-सफदरगंज, जनपद-बाराबंकी, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-253/1993 में भा0द0वि0 की धारा-302, 404 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बाराबंकी के आदेश दिनांक 02.07.1994 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया तथा सत्र परीक्षण संख्या-231/1994 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-05, बाराबंकी के आदेश दिनांक 23.01.2001 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ के आदेश दिनांक 10.05.2004 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया, द्वारा सत्र परीक्षण संख्या-253/1993 के अन्तर्गत दिनांक 19-04-2023 तक 29 वर्ष, 05 माह 21 दिन की अपरिहार तथा 36 वर्ष, 07 माह, 06 दिन की सपरिहार तथा सत्र परीक्षण संख्या-231/1994 के अन्तर्गत दिनांक 19-04-2023 तक 28 वर्ष, 10 माह 15 दिन की अपरिहार तथा 34 वर्ष, 04 माह, 10 दिन की सपरिहार भोगी गयी सजा तथा संतोषजनक जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, बाराबंकी के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

मदन मोहन

विशेष सचिव।

संख्या-517/2023/1407(1)/22-2-2023 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, बाराबंकी।
3- पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
8- नोडल अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, लखनऊ को मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ में योजित क्रिमिनल अपील संख्या-84(डी)/2023 देवी सरन बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.05.2023 के सन्दर्भ में।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी

अनु सचिव।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।